UPBS010003432023

<u>न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, बस्ती।</u>

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार खरवार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP06500**

सेशन केस संख्या ----------71/2023

सरकार .....प्रति.....अखिलेश शर्मा आदि

अपराध संख्या-221/2021
धारा-147,148,149,307,114,504 भा.दं.सं.
<u>थाना-हरैया, जिला बस्ती।</u>

<u>आरोप</u>

मैं, अनिल कुमार खरवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, बस्ती आप अभियुक्तगण-

1-अखिलेश शर्मा 2-राजन तिवारी उर्फ राजनाथ तिवारी
3-विनय भाष्कर सिंह 4-राजू पाठक
5-राहुल सिंह उर्फ अमिताभ सिंह

को एतद्द्वारा निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथमः-यह कि दिनांक 14-07-2021 को समय 4.30 बजे सायं बास्थान ग्राम बेड़ाले शुक्ल NH 28 से 500 मीटर, थाना हरैया , जिला बस्ती में आप लोगों ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा निरीक्ष विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी व उनके हमराही पुलिस कर्मियों को मारने-पीटने के उद्देश्य से विधिविरूद्ध जमाव कायम कर हिंसा व आपराधिक बल का प्रयोग कर बलबा किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो धारा 147 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः-यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा निरीक्ष विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी व उनके हमराही पुलिस कर्मियों को मारने-पीटने के उद्देश्य से देशी पिस्टल व तमंचा जैसे घातक हथियार से लैस होकर विधिविरूद्ध जमाव कायम कायम कर बलबा किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो धारा 148 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय-यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा निरीक्ष विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी व उनके हमराही पुलिस कर्मियों के ऊपर इस आशय व ज्ञान से असलहों से फायर किया कि यदि उससे उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो धारा 307 सपठित धारा 149 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ-यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने अपराध किये जाते समय, एक दूसरे को, अपराध करने हेतु दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो धारा 114 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम-यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा निरीक्ष विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी व उनके हमराही पुलिस कर्मियों को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से

गाली गुप्ता देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो भा०द०सं० की धारा- 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 28-02-2023

(अनिल कुमार खरवार)
J.O. Code-U.P.06500
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-03, बस्ती।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 28-02-2023

(अनिल कुमार खरवार)
J.O. Code-U.P.06500
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-03, बस्ती।

UPBS010003432023

न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, बस्ती।

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार खरवार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP06500**

सेशन केस संख्या ----------71/2023

सरकार .....प्रति.....अखिलेश शर्मा आदि

अपराध संख्या-221/2021
धारा-147,148,149,307,114,504 भा.दं.सं.
थाना-हरैया, जिला बस्ती।

जजेज नोट

दिनांक 28-02-2023

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्तगण अखिलेश शर्मा,राजन तिवारी उर्फ राजनाथ तिवारी, विनय भाष्कर सिंह, राजू पाठक एवं राहुल सिंह उर्फ अमिताभ सिंह उपस्थित है।

पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्तगण विनय भाष्कर सिंह व राजू पाठक के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी करने का आदेश पारित किया था। आज अभियुक्तगण स्वयं से उपस्थित आ गये है तथा उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। उनके द्वारा वारन्ट रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर तथा यह याचना किये जाने पर कि वे उपस्थित हो गये हैं और आज ही आरोप विरचित कराना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण विनय भाष्कर सिंह व राजू पाठक के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारन्ट, प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु० 50000-5000/रू० का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर, रिकाल किया जाता है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने पुलिस प्रपत्रों का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147,148, 307 सपठित धारा 149 ,114, 504, भा०दं०सं० का आरोप निर्धारित किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्यों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण अखिलेश शर्मा,राजन तिवारी उर्फ राजनाथ तिवारी, विनय भाष्कर सिंह, राजू पाठक एवं राहुल सिंह उर्फ अमिताभ सिंह के विरुद्ध धारा 147,148, 307 सपठित धारा 149 ,114, 504, भा०दं०सं० का आरोप निर्धारित किए जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतएव अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाता है।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक को पेश हो। साक्षी जरिये तलब हो।

दिनांक 28-02-2023

(अनिल कुमार खरवार)
J.O. Code-U.P.06500
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-03, बस्ती

Digitally signed by Anil Kumar Kharwar
Date: 2023.03.02 10:31:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court